GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO-182
ANSWERED ON 20/12/2023

Drop out rate in schools

182 # Dr. Sonal Mansingh:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the drop out rate in country's school education is alarmingly high;
(b) whether a number of suggestions have been given in the National Education Policy 2020 to reduce the drop out rate; and
(c) if so, the steps that are being taken by Government in view of the above suggestions?

ANSWER

MINISTER OF EDUCATION
(SHRI DHARMENDRA PRADHAN)

(a) to (c) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) to (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 182 ANSWERED ON 20.12.2023 ASKED BY HONB'LE MP DR. SONAL MANSINGH REGARDING 'DROP OUT RATE IN SCHOOLS'

(a): The Department of School Education and Literacy (DoSEL), Ministry of Education has developed the Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) system to record data on indicators of school education provided by all the States and Union Territories. As per UDISE+, the dropout rate at Primary, Upper Primary and Secondary level have decreased substantially during 2018-19 to 2021-22. The details are as under:

Level of Education	**Dropout Rate**	
	2018-19	**2021-22**
Primary	4.45	1.45
Upper Primary	4.68	3.02
Secondary	17.90	12.61

(b): National Education Policy (NEP) 2020 vide para 3 recommended measures to curtail dropout at all levels of school education and ensuring universal access to education at all levels. The specific recommendations of NEP 2020 to curtail dropout are as under:

1. Provide effective and sufficient infrastructure at schools so that all students have access to safe and engaging school education at all levels from pre-primary school to Grade 12.
2. Provide regular trained teachers at each stage, special care shall be taken to ensure that no school remains deficient on infrastructure support.
3. Re-established credibility of Government schools by upgrading and enlarging the schools that already exist, building additional quality schools in areas where they do not exist, and providing safe and practical conveyances and/or hostels, especially for the girl children, so that all children have the opportunity to attend a quality school and learn at the appropriate level.
4. Put in place innovative education centres in cooperation with civil society to ensure that children of migrant labourers, and other children who are dropping out of school due to various circumstances are brought back into mainstream education.
5. To achieve universal participation in school by carefully tracking students, as well as their learning levels, in order to ensure that they (a) are enrolled in and attending school, and (b) have suitable opportunities to catch up and re-enter school in case they have fallen behind or dropped out.
6. For providing equitable and quality education from the Foundational Stage through Grade 12 to all children up to the age of 18, suitable facilitating systems shall be put in place.
7. Counsellors or well-trained social workers connected to schools/school complexes and teachers will continuously work with students and their parents and will travel through and engage with communities to ensure that all school-age children are attending and learning in school.

(c): Education is in the concurrent list of the Constitution and majority of the schools are under the domain of respective State and UT Governments. Central Government assist States and UTs through the Centrally Sponsored Scheme of Samagra Shiksha, which is also aligned with NEP 2020 to ensure that all children have access to quality education with an equitable and inclusive classroom environment which should take care of their diverse background, multilingual needs, different academic abilities and make them active participants in the learning process. Financial assistance is also provided to the States and UTs for various activities to reduce dropout in Govt. schools, which include opening/strengthening of new schools up to senior secondary level, strengthening school infrastructure, setting up, up gradation and running of Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBV) upto class 12, setting up of residential schools/hostel named Netaji Subhas Chandra Bose Avasiya Vidyalayas, transport allowance, undertaking enrolment drives, seasonal hostels/residential camps, provision of vocational education and ICT facilities in schools, providing free text books and free uniform, transport/escort facility, etc, financial assistance is also provided for aids and appliances for children with special needs. Also, NEP 2020 has recommended integration of vocational education into mainstream education in all educational institutions. Under the vocational education component of Samagra Shiksha scheme, National Skills Qualifications Framework (NSQF) compliant vocational courses are offered to the students from class 9th to 12th in eligible schools. At the Secondary level, i.e. Class 9 and 10, vocational modules are offered to the students as an additional subject. At the Senior Secondary level, i.e. Class 11 and 12, vocational courses are offered as a compulsory (elective) subject. States/UTs can now opt from 88 Job Roles in 22 Sectors as per the Skill Gap Analysis of the State/UT. As part of NEP-2020 implementation - National Credit Framework (NCrF), multiple entry/exit etc. have been introduced. Under Samagra Shiksha proposed Central Releases for the last 4 years are given below.

Samagra Shiksha (Proposed Central Releases) (Rs in lakhs)			
2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
3740075.94	3577281.45	3467173.25	4449394.26

Further, a new centrally sponsored scheme project PM SHRI (PM Schools for Rising India) scheme launched on 07th Sep 2022. Rs. 630 Crores have been released to States/UTs/KVS/NVS as 1st instalment of Central share on 29.7.2023 by Hon’ble Prime Minister.

Also, Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN) Scheme has been revamped and extended to cover students of Balvatika in addition to students of Classes I-VIII in Government and Government-Aided Schools, the Budget allocated under the PM Poshan Scheme for the year 2022-23 is Rs.12,800.00 crore.

******

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-182
उत्तर देने की तारीख-20/12/2023

स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की दर

182 # डा. सोनल मानसिंहः

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश की स्कूली शिक्षा में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की दर चिंताजनक रूप से अधिक है;

(ख) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की दर को कम करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त सुझावों के मद्देनजर क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य डा. सोनल मानसिंह द्वारा 'स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की दर' के संबंध में दिनांक 20.12.2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 182 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए स्कूल शिक्षा के संकेतकों से संबंधित डाटा रिकॉर्ड करने हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) तैयार की है। यूडाइज+ के अनुसार, 2018-19 से 2021-22 के दौरान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों (ड्रॉपआउट) की दर में काफी कमी आई है। संबंधित विवरण इस प्रकार है:

शिक्षा का स्तर	ड्रॉपआउट दर	
	2018-19	**2021-22**
प्राथमिक	4.45	1.45
उच्च प्राथमिक	4.68	3.02
माध्यमिक	17.90	12.61

(ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में पैरा 3 के माध्यम से स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर ड्रॉपआउट की दर कम करने और सभी स्तरों पर शिक्षा की सर्वसुलभता सुनिश्चित करने के उपायों की सिफारिश की गई है। ड्रॉपआउट की दर को कम करने के लिए एनईपी 2020 की विशिष्ट सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1. स्कूलों में प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान करना ताकि सभी छात्रों को पूर्व-प्राथमिक स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और रूचिपूर्ण स्कूली शिक्षा मिल सके।
2. प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा कि किसी भी स्कूल को बुनियादी ढांचे से संबंधित सहायता में कोई कमी न रहे।
3. पहले से मौजूद स्कूलों का स्तरोन्नयन और विस्तार करके, जिन क्षेत्रों में, वे मौजूद नहीं हैं, वहां अतिरिक्त गुणवत्तायुक्त स्कूलों का निर्माण करके और विशेष रूप से बालिकाओं के लिए सुरक्षित और व्यावहारिक परिवहन और/या छात्रावास प्रदान करके सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करना, ताकि सभी बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण स्कूल में जाने और उपयुक्त स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रवासी मजदूरों के बच्चों और विभिन्न परिस्थितियों के कारण स्कूल छोड़ने वाले अन्य बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाया जाए, सिविल सोसायटी के सहयोग से अभिनव शिक्षा केंद्र स्थापित करना।

5. छात्रों और उनके अधिगम स्तर पर सावधानीपूर्वक ध्यान देते हुए स्कूल में सभी की भागीदारी का लक्ष्य प्राप्त करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र (क) स्कूल में नामांकित हैं और स्कूल जा रहे हैं, और (ख) यदि वे पिछड़ गए हैं या उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, तो उनके अधिगम में हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने और स्कूल में पुनःप्रवेश के लिए समुचित अवसर हैं।

6. 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को बुनियादी स्तर से लेकर कक्षा 12 तक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त सुविधाजनक प्रणाली स्थापित की जाएंगी।

7. स्कूलों/स्कूल परिसरों से जुड़े परामर्शदाता अथवा सुप्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक लगातार छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ काम करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए समुदायों के पास जाएंगे या उनसे संपर्क करेंगे कि स्कूल जाने वाले आयु के सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आते हैं। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए भी एनईपी 2020 के अनुरूप बनाया गया है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा परिवेश के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में ड्रॉप-आउट को कम करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/उन्हें मजबूत करना, स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, 12वीं कक्षा तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन और संचालन करना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना करना, परिवहन भत्ता प्रदान करना, नामांकन अभियान चलाना, मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय शिविर लगाना, व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करना और स्कूलों में आईसीटी सुविधाएं प्रदान करना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और निःशुल्क वर्दी, परिवहन/एस्कार्ट सुविधा प्रदान करना आदि शामिल हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायता और उपकरणों हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। साथ ही, एनईपी 2020 में सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की सिफारिश की गई है। समग्र शिक्षा योजना के व्यावसायिक शिक्षा घटक के तहत, पात्र स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के

अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम पेश किए जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर, अर्थात कक्षा 9 और 10 में, छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में व्यावसायिक मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, अर्थात कक्षा 11 और 12 में, व्यावसायिक पाठ्यक्रम एक अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में पेश किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अब कौशल अंतर विश्लेषण के अनुसार 22 क्षेत्रों में 88 जॉब रोल्स का विकल्प चुन सकते हैं। एनईपी-2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), बहु प्रवेश/निकास आदि की शुरुआत की गई है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों के लिए प्रस्तावित जारी केंद्रीय धन राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

समग्र शिक्षा (प्रस्तावित जारी केंद्रीय धनराशि) **(लाख रुपए में)**			
2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
3740075.94	3577281.45	3467173.25	4449394.26

इसके अतिरिक्त, एक नई केंद्र प्रायोजित योजना परियोजना पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना 07 सितंबर 2022 को शुरू की गई। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 29.7.2023 को केंद्रीय भाग की पहली किस्त के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केविसं/नविस को 630 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

साथ ही, प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I-VIII के छात्रों के अतिरिक्त बालवाटिका के छात्रों को कवर करने के लिए नया रूप दिया गया है और विस्तारित किया गया है, वर्ष 2022-23 के लिए पीएम पोषण योजना के तहत आवंटित बजट 12800.00 करोड़ रूपए है।

******

DR. SONAL MANSINGH: Sir, I would like to know what specific steps are being initiated by the Government to reduce dropout rate of girl students, specifically, in schools of rural India and how effective the initiatives in achieving the goals have been.

श्री धर्मेंद्र प्रधान : चेयरमैन सर, आदरणीय सदस्या ने ड्रॉपआउट के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं इस प्रश्न का उत्तर दो हिस्सों में देना चाहूंगा - एक स्कूल एजुकेशन और दूसरा हायर एजुकेशन। विशेषकर, स्कूल एजुकेशन का दायित्व मूलतः राज्य सरकारों का होता है। यह थोड़ा चिंताजनक है कि कुछ जगहों पर ड्रॉपआउट है। इसको स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने समग्र शिक्षा की स्कीम शुरू की है। यह स्कूल एजुकेशन में मदद करने के संबंध में भारत सरकार की एक मेगा स्कीम है, जिसमें भारत सरकार विभिन्न राज्यों के लिए लगभग 70,000 करोड़ तक की जिम्मेवारी निभाती है। मैं इसके संबंध में दो-तीन इंटरवेन्शन्स करना चाहूंगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ-साथ, स्कूल्स में गर्ल स्टूडेंट्स के लिए टॉयलेट भी एक चुनौती है, इसीलिए सारे विषयों पर स्पेशल इंटरवेन्शन करने के लिए भारत सरकार राशि उपलब्ध कराती है। दूसरा, भारत सरकार की एक 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय' स्कीम चलती है, जो विशेष रूप से बच्चियों को स्कूली शिक्षा देने के संबंध में है। 'पीएम पोषण' योजना के तहत राज्यों को लगभग 40,000 करोड़ रुपये का खाद्यान्न तथा आर्थिक अनुदान दिया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि देश के ग्रामीण और गरीब इलाकों के बच्चे स्कूल आएं। उनको आगे लाने के लिए ग्रामीण इलाकों में भी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बने हैं, प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइज़िंग इंडिया (पीएम श्री) स्कूल्स - इनका भी एन्विज़न किया गया है। इन 14,500 स्कूल्स खोले जाने की कल्पना यह है कि देश के सभी ब्लॉक्स में कम से कम एक स्कूल हो जाए और उसका मूल उद्देश्य यह है कि बच्चियों का ड्रॉपआउट रेश्यो घटे।

DR. SONAL MANSINGH: Sir, I would like to know whether the dropout rate in schools across the country is alarmingly high. If so, what steps have been taken by the Government in view of the above suggestions, especially taking into account the *Beti Bachao Beti Padhao scheme*, which has been going on for the last ten years? If still the dropout rate has not really come down, as envisaged, what are the reasons for the same and how do we address this issue?

श्री धर्मेंद्र प्रधान : चेयरमैन सर, मैंने पहले सप्लिमेंटरी में इन सभी प्रश्नों के उत्तर विनम्रता से देने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद मैंने पहले क्वेश्चन का जो उत्तर दिया है, उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। अगर हम वर्ष 2014-15 की वर्ष 2021-22 से कॉन्ट्रास्ट तुलना करें, तो लगभग 25 से लेकर 50 परसेंट की ग्रोथ हुई है और एसटी विमेन के संबंध में यह ग्रोथ 80 प्रतिशत तक हुई है। उनकी एन्ट्री के बाद वे कन्टिन्यू करें, उसमें ड्रॉपआउट न हो, यह एक चुनौती है और हम सभी को मिलकर इसके संबंध में चिंता करने की आवश्यकता है।

श्रीमती सुलता देव : चेयरमैन सर, स्कूल एजुकेशन में खासकर गर्ल चाइल्ड के जो ड्रॉपआउट्स हो रहे हैं, वे माहवारी के कारण ज्यादा हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इसके कारण कितने ड्रॉपआउट्स हो रहे हैं? इसके लिए क्या योजना बनाई गई है? मेरा मानना है कि इसके लिए हम यह भी देखें कि इस संबंध में अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए और इसके संबंध में कोई ऐसी व्यवस्था या मैकेनिज़्म बनाया जाए, जिससे माहवारी के कारण रूरल एरियाज़ में जो ड्रॉपआउट्स होते हैं, उनको रोका जा सके।

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सर, चुनौती वही है और इससे निपटने के लिए हमें बच्चियों को हाथ पकड़ कर स्कूल तक ले लाना पड़ेगा। मैं फिर एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब माननीय प्रधान मंत्री जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब वे खुद ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। वे गर्मियों के दिनों में खुद जाकर किसी एक ब्लॉक में तीन दिन बैठते थे। उस दौरान वे गांव-गांव घूमते थे। उन इलाकों में जिन बच्चियों के बर्थ सर्टिफिकेट के तहत रजिस्ट्रेशन होते थे, उनके घरों में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी मुख्य मंत्री के नाते खुद जाते थे। वहां आज भी यह व्यवस्था जारी है। जो सदस्य मित्र गुजरात से आते हैं, उन सभी को अभ्यास है कि वे पाठशाला को इसका निमंत्रण देने के लिए जाते थे। बच्चियों को स्कूल तक लाना और उनको हाथ पकड़कर 12वीं और हायर एजुकेशन तक ले जाना, यह समाज के सभी लोगों का दायित्व है। हम जानते हैं कि बच्चियों के संबंध में एक वैज्ञानिक प्रमाण है कि जब लड़कों और लड़कियों के बीच में पढ़ने की स्पर्धा होती है, तो अनडाउटेडली लड़कियां अव्वल नम्बर पर आती हैं। यह प्रमाणित हुआ है। हमारे देश की जो सामाजिक परंपरा और व्यवस्था है, उसमें सामाजिक जीवन में नेतृत्व करने वाले लोगों का यह दायित्व है कि उनको आगे लाने के काम का वे नेतृत्व करें।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary, Shri Kanakamedala Ravindra Kumar.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, as per the Union Government and the National Education Policy, they want to promote all regional languages, particularly, in primary education. As far as Andhra Pradesh is concerned, the Government of Andhra Pradesh has taken a decision to impose English medium in primary education also, which is mandatory. Due to that decision, the dropouts are more in the State of Andhra Pradesh. I want to know whether the Union Government has taken any steps to advise the State Government to continue the regional language, Telugu medium, in the primary education.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Chairman, Sir, it is a very dynamic question and it is a good question also. It is a pertinent question. As I said in my previous answer, the Prime Minister is very clear on certain issues. All regional languages, all mother tongue-oriented languages are national languages. So, there is no disparity. The child should read and write in his mother tongue. There is no second opinion. The

language he is listening or uttering the word first time in a language, he should continue with that language for writing and reading. So, for Andhra Pradesh, there is no second opinion. The primary level teaching should be in the mother tongue. But, according to my information -- I had been to Andhra; I have seen a very unique model in Andhra -- in the textbooks of Andhra Pradesh, Andhra Pradesh has developed a QR code in all the pages of Andhra textbooks. A student, through a smart device, can read that in local Telugu language also. So, educational technologies are very dynamic. New things are coming up. We should not create political confusion on that. The primary level teaching should be in the mother-tongue. There is a consensus. There is no second opinion on that.

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Shri Rakesh Sinha.

श्री राकेश सिन्हा : सभापति महोदय, यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। नई शिक्षा नीति ने देश में स्कूली शिक्षा में एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन किया है, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। महोदय, स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। टीचर्स ट्रेनिंग में अलग-अलग राज्यों में ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है और उसका जो करिक्युलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें भिन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन उसकी भिन्नता इतनी अधिक है कि छात्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। मेरा प्रश्न है कि क्या एनसीईआरटी उसमें एकरूपता लाने की कोशिश करेगी? इसके साथ ही, मैं इसमें एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहता हूँ कि इस एकरूपता के साथ बहुलता लाने की आवश्यकता इसलिए है कि बोडोलैंड के बच्चे की शिक्षा, या झारखंड के बच्चे की शिक्षा, या किसी औद्योगिक क्षेत्र के बच्चे की शिक्षा का मनोविज्ञान अलग-अलग होता है। इसलिए ऐसे मनोवैज्ञानिक पक्ष को उस पाठ्यक्रम में जोड़ने की भी आवश्यकता है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister. It is more of a suggestion.

श्री धर्मेंद्र प्रधान : चेयरमैन सर, मैं वही कहने वाला था। मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूँगा कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परामर्श से नेशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क बना था। नेशनल करिक्यूलम फ्रेमवर्क का अपना काम पूरा करने के बाद सिलेबस और टेक्स्टबुक बनाने का काम शुरू हो गया है। अभी एनसीईआरटी सारी राज्य सरकारों की एससीईआरटीज़ को साथ लेते हुए नए सिलेबस और टेक्स्टबुक की ओर बढ़ रही है। इसमें एक-दो साल लगेंगे। इस संबंध में माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव दिया है, उसमें ये ही सारे विषय एकोमोडेट किए जा रहे हैं, साथ ही और भी विषयों को एकोमोडेट किया जाएगा।

श्री सभापति : क्वेश्चन नं. 183. श्री नरेश बंसल।